जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 16.08.2025

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 16 वाहनों से 65,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 16.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 16 वाहनों से **65,500** रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चोरी के जेवरात (अनुमानित कीमत 2,10,000रु0), 02 अदद गैस सिलेण्डर व नगद 3100रु0 के साथ 01 हिस्ट्रीशीटर को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीरनगर में चोरी की 02 घटनाओं का खुलासा

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनाँक 16.08.2025 को 01 नफर अभियुक्त नाम पता अजय कुमार पुत्र छेदी निवासी काजीपुर धोबी टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को चोरी के जेवरात (अनुमानित कीमत 2,10,000रु0), 02 अदद गैस सिलेण्डर व नगद 3100रु0 के साथ कबीर चौरा वाले रोड पर सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया।

अनावरण हुयी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण

पहली घटनाः- दिनाँक 10.08.2025 को वादिनी श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 राजकुमार निवासी काजीपुर दीन दयाल नगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त व उसके एक साथी के विरुद्ध वादिनी के मकान के बाहर का गेट व चैनल गेट का ताला तोड़कर घर में से सोने व चाँदी के जेवरात तथा 03 लाख रुपये नगद चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 733/2025 धारा 331(3), 305(a) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दूसरी घटनाः- दिनाँक 07.07.2025 को वादी श्री योगेशचन्द्र पुत्र स्व0 लालगा ग्राम बघौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत दिनाँक 26.06.2025 की रात्रि में गैस सर्विस बंजरिया गोदाम का ताला तोड़कर 22 भरे हुए सिलेण्डर अज्ञात द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 592/2025 धारा 305(a) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उक्त दोनो अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अजय कुमार पुत्र छेदी निवासी काजीपुर धोबी टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

(1.) 02 अदद मंगल सूत्र पीली धातु ।
(2.) 02 अदद अंगुठी पीली धातु ।
(3.) 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु।
(4.) 01 जोड़ी बाली पीली धातु।
(5.) 03 जोड़ी पायल सफेद धातु।
(6.) 02 अदद गैस सिलेण्डर।
(7.) कुल 3100रु0 नगद।

पूछताछ विवरणः- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से बरामदशुदा जेवरात, पैसों व सिलेण्डर के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि मैने अपने एक साथी के साथ मिलकर यह जेवरात व गैस सिलेण्डर चोरी किये हैं। हमने मिलकर करीब डेढ़ माह पहले बंजरिया रोड बघौली बाजार से करीब 01 किमी आगे इण्डेन गैस गोदाम से 22 सिलेण्डर चोरी किया था। जिसमें से 20 सिलेण्डर हमने गोरखपुर सीमा पर आने जाने वाले ट्रक ड्राईवरों व राहगीरों को बेच दिया। जिसमें से मेरे हिस्से के रुपये में से 1900रु0 बचे हैं। दिनाँक 29.07.2025 को काजीपुर दीन दयाल मोहल्ले में रात को राजकुमार के घर में हमने चोरी किया था, जिसमें हमें काफी सोने चाँदी के जेवरात और नोटों की 02 गड्डियाँ मिली थी। जिसमें से मेरे साथी ने कुछ जेवरात और एक गड्डी में से कुछ रुपये मुझे पन्नी मे करके दिया और कहा कि बाद में गहनों और पैसों का बँटवारा कर लेंगे, जिसमें से 1200रु0 मेरे पास बचे हैं। मैने बाद में अपने साथी की बहुत तलाश की परन्तु वह मुझे नही मिला। वह सारा जेवरात व पैसा लेकर कही भाग गया है।

हिस्ट्रीशीटर अजय कुमार का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 122/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 213/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 375/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-
1. उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, हे0का0 रामरतन, का0 सूर्यप्रकाश, का0 अरुण कुमार, का0 रमेश यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चोरी के जेवरात (अनुमानित कीमत 2,10,000रु0), 02 अदद गैस सिलेण्डर व नगद 3100रु0 के साथ 01 हिस्ट्रीशीटर को** गिरफ्तार करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी बाईट।*

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता विकास मद्धेशिया पुत्र प्रमोद निवासी अचकवापुर मोती चौराहा मड़या थाना को0 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को आज दिनाँक 16.08.2025 को वन विभाग कार्यालय मोड कचहरी रोड़ से कुल 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

1. विकास मद्धेशिया पुत्र प्रमोद निवासी अचकवापुर मोती चौराहा मड़या थाना को0 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

***पंजीकृत अभियोग*–** मु0अ0स0 743/2025 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

1. 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 उमेश कुमार, का0 राकेश गौड़, का0 रंजन कुमार राजभर।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0267/2025 धारा 137(2)/87/64(2)(ङ) भा0न्या0सं0 व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त हैरी गोस्वामी उर्फ हरिओम पुत्र प्रभाकर गोस्वामी निवासी बासुडीहा (गम्भीरपुर) थाना गगहा जनपद गोरखपुर को आज दिनाँक 16.08.2025 को मेहदावल बाईपास से गोरखपुर जाने वाली लेन के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 02.04.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 अनिल यादव।